ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3818/2003/जोधपुर ढलाराम बनाम माणकचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री वी0श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री इन्द्र सिंह राव, सदस्य

उपस्थितः–
श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री सी0पी0शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

––

निर्णय
दिनांकः 21–06–18

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए अपीलार्थी सं0 1 व 2 के कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिए जाने के प्रा0 पत्र पर बहस सुनी।

तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में दोनों अपीलार्थीगण की मृत्यु हो चुकी है। दिनांक 25–04–14 को अपीलार्थी सं0 1 डलाराम की मृत्यु दिनांक 08–07–13 हो जाने के कारण उसके कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिए जाने हेतु प्रा0 पत्र पेश किया था व इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया था। इसी प्रकार अपीलार्थी सं0 2 गुलाबराम पुत्र भोलाराम की मृत्यु दिनांक 28–05–04 को हो जाने के कारण कायम मुकाम हेतु दिनांक 25–04–14 को प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। प्रा0 पत्र के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रा0पत्र पेश किया गया है।

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3818/2003/जोधपुर ढलाराम बनाम माणकचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उन्हें जानकारी प्राप्त होते ही दोनों मृतक अपीलार्थीगण के कायम मकाम का प्रा0 पत्र समयावधि में पेश कर दिया गया है। अपीलार्थीगण व उनके कायम मुकाम गामीण परिवेश के है तथा गॉव में रहते है जो कि कानूनी प्रक्रिया से अनजान है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अपीलार्थीगण की मृत्यु सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण कायम मुकाम प्रा0 पत्र पेश करने में देरी हुई, जिसके लिए उन्होंने भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का प्रा0 पत्र पेश किया गया है। अतः विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपीलार्थीगण के कायम मुकाम को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी सं0 1 व 2 की मृत्यु क्रमशः 24–06–13 व 28–05–2009 को चुकी है, जिसकी जानकारी अधिवक्ता अपीलार्थी को थी परन्तु समय पर कायम मुकाम का प्रा0 पत्र पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में उन्हें विलम्ब क्षम्य करने का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में 2015 (1) आर0आर0टी0 पेज 232, 2012 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 517 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। हमने बहस पर मनन किया तथा कायम मुकाम के प्रा0 पत्र तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3818/2003/जोधपुर ढलाराम बनाम माणकचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी सं0 1 व 2 श्री ढलाराम पुत्र भोलाराम व गुलाबराम पुत्र श्री भोलारामकी मृत्यु होने के उपरान्त भी लम्बे समय तक कायम मुकाम की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तथा विलम्ब क्षम्य करने के प्रा0 पत्र में संतोषजनक कारण अंकित नहीं किए गए, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(1) आर0आर0टी0 पेज 232 व 2012 डी0एन0जे0 (एस0सी0) पेज 517 प्रकरण के तथ्यों से मेल खाने के कारण पूर्णतया चस्पा होते है, जो निम्नानुसार हैः– 2012 DNJ(SC) 517 : "Limitation Act, 1963 - Sec. 5- Condonation of delay- Delay of 7 years in filing appeal- Delay not to be condoned as matter of course- Delay occurred due to misplacement of papers and transfer of concerned officers- No explanation that when the papers were misplaced and when they were traced- How the transfer of concerned officers delayed the filing of appeal, not explained- Case of lethargic and utter negligence- Held, No sufficient cause for condonation of delay- Delay cannot be condoned- Orders set aside." 2012(2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 729ः ‘‘सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908– आदेश 22 नियम 3,9 तथा धारा 100–द्वितीय अपील–मृतका ‘‘बी’’ के एक विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थी ‘के’ की, अपील के विचाराधीन	

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/3818/2003/जोधपुर ढलाराम बनाम माणकचंद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृत्यु हुई–उपशमन को अपास्त करने की प्रार्थना के बगैर एक वर्ष से अधिक के बाद विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन हेतु आवेदन पेश किया– मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपावेदन पेश नहीं किया–सम्पूर्ण अपील उपशमित हुई व खारिज की–मृतका 'के' तथा रेस्पोडेंट के बीच डिक्री अंतिम हुई–संयुक्त व अविभाज्य डिक्री–निर्णित, सम्पूर्णत अपील उपशमित हुई तथा अपील में विधि का सारभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है व खारिज की।'' उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाही समय सीमा में नहीं किए जाने के कारण अपील अबेट होना मानते हुए खारिज की जाती है। निर्णय की सूचना योग्य अधिवक्तागण को दी जावें व निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (इन्द्र सिंह राव) (वी0 श्रीनिवास) सदस्य अध्यक्ष	